न्यायालय :— **उपखण्ड अधिकारी, सांचौर**

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

राज0वि0प्र0 संख्या :—03 / 2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
विनेश कुमार पुत्र हरिराम कौम ब्रह्मण(पुरोहित)निवासी अमरापुरी		1. विष्णुकुमार वल्द हरिराम जाति ब्राह्मण(पुरोहित) निवासी अमरापुरी 2. सरकार जरिये तहसीलदार, सांचौर।

प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ति।

उपस्थित :—

1— श्री रघुवीर पुरोहित वकील प्रार्थी की ओर से।

2— सरकार जरिये तहसीलदार —सांचौर।

निर्णय

दिनांक— 21.03.2018

1— इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विनेश कुमार ने प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ति का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा अमरापुरी के खेत खसरा नम्बर 246 रकबा 0.71 हैक्टर प्रार्थी खातेदारी के आये हुये है जिसमें प्रार्थी का नाम विनेश कुमार की जगह भूलवश विसाराम लिख दिया है जो एक लिपिकीय त्रुटि, मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में मेरा नाम विनेश कुमार ही है लेकिन राजस्व रेकर्ड में विसाराम लिख देने से मुझे ऋण लेने, बिगोड़ी अदा करने, मुआवजा राशि लेने आदि में रूकावट होती है ऐसी सुरत में उक्त लिपीकीय त्रुटि संशोधित की जावें।

2— प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ने इकबालिय जवाब देकर नाम संशोधन करने बाबत कोई एतराज न होना प्रकट किया तथा राजपेरोकार ने भी विनेश कुमार लिखे जाने बाबत कोई आपत्ती नही होना जाहिर किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

3— पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र आदि में प्रार्थी का नाम विनेश कुमार दर्ज है तथा अप्रार्थीगण ने भी यही तथ्य स्वीकार किये गये है। ऐसी सुरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम अमरापुरी के खसरा 246 रकबा 0.71 हैक्टर में दर्ज विसाराम के स्थान पर विनेश कुमार नाम दर्ज किया जावें। तहसीलदार सांचौर को पालना हेतु तहरीर जारी हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें।

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर (राज0)

21-3-18
([illegible] शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर